

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—८ / ३७ / २०२०—८ / ३०(८) / २०२०—२१ लखनऊ दिनांक—२९ अप्रैल, २०२१

विषय:- कोविड—19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग अनुभाग—11 के निर्गत शासनादेश संख्या—249 / एक—11—२०२०—०४(जी०) / २०१५—टी०सी०, दिनांक—११.०४.२०२० यथा संशोधित संख्या—249(२) / एक—११—२०२०—०४(जी०) / २०१५—टी०सी०, दिनांक—११.०४.२०२० का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड—19 से प्रभावित सम्पूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन—रात ड्यूटी में लगे हुए हैं। कोविड—19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों में कोविड—19 के संक्रमण की आशंका सदैव बनी रहती है।

कोविड—19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिक की कोविड—19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उस मृतक के आश्रितों को रु0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्राविधानित व्यवस्था का लाभ विभाग में कार्यरत उन सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्थायी/अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य/देय होगी, जो कोविड—19 की रोकथाम, उसके उपचार व उसके बचाव के लिये कार्यरत है।

उपर्युक्त अनुग्रह धनराशि हेतु निम्न कार्यवाही अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

- अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
- सम्बन्धित कार्मिक का कोविड—19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों में नियुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड—19 के संक्रमण से हुई है।

उक्त के क्रम में कार्यालयाध्यक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय रस्थापित करते हुए सम्बन्धित का वांछित प्रमाण पत्र ससमय प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त समस्त कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाए जिससे कोविड—19 की रोकथाम, उसके उपचार व उसके बचाव के लिये कार्यरत कार्मिक के मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को स्वीकृति अनुग्रह धनराशि ससमय प्राप्त हो सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कोविड—19 की रोकथाम, उसके उपचार व उसके बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों का कोविड—19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर शासनादेश में प्राविधानित कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित प्रमाण पत्रों को संलग्न कर समस्त विवरण जिलाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(किंजल सिंह)

निदेशक,

पंचायतीराज, उ0प्र0।

पत्रांक-8 / 2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—8 / ३७ / २०२०-८ / ३६४ / २०२०-२१ लखनऊ दिनांक—२९अप्रैल, २०२१

विषयः— कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग अनुभाग-11 के निर्गत शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी0)/2015-टी0सी0, दिनांक-11.04.2020 यथा संशोधित संख्या-249(2)/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0, दिनांक-11.04.2020 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावित सम्पूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन-रात छँटूटी में लगे हुए हैं। कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका सदैव बनी रहती है।

कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिक की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उस मृतक के आश्रितों को रु0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्राविधानित व्यवस्था का लाभ विभाग में कार्यरत उन सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, संविदाकर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्थायी/अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य/देय होगी, जो कोविड-19 की रोकथाम, उसके उपचार व उसके बचाव के लिये कार्यरत है।

उपर्युक्त अनुग्रह धनराशि हेतु निम्न कार्यवाही अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

- अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।
- सम्बन्धित कार्मिक का कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों में नियुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है।

उक्त के क्रम में कार्यालयाध्यक्ष/जिला पंचायत राज अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए सम्बन्धित का वांछित प्रमाण पत्र ससमय प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त समस्त कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाए जिससे कोविड-19 की रोकथाम, उसके उपचार व उसके बचाव के लिये कार्यरत कार्मिक के मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को स्वीकृति अनुग्रह धनराशि ससमय प्राप्त हो सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 की रोकथाम, उसके उपचार व उसके बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों का कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर शासनादेश में प्राविधानित कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित प्रमाण पत्रों को संलग्न कर समस्त विवरण जिलाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(किंजल सिंह)

निदेशक,

पंचायतीराज, उ0प्र0।

पत्रांक-8/ ३७ /2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।



(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं
देसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2-पुलिस आयुक्त,
लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
- 3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक ।। अप्रैल, 2020

राजस्व अनुमान-11

विषय-कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संकमण से मृत्यु की दरा में उनके आक्रितों को रु० 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह घनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-249 / एक-11-2020-04 (जी) / 2015-टी०सी०, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-249 / एक-11-2020-04(जी) / 2015-टी०सी०, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 के प्रस्तार-3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

उपर्युक्त स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम, उसके उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिए नियुक्त था तथा साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संकमण से हुई है, अपेक्षित होगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

मददीया,

१८/१५/२०२०
(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या- 248(3) / / एक-11-2020-04(जी) / 2015-टी०सी०, प्रदर्शनक

प्रतिस्पर्द्ध-निम्नानुसारित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, नाननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त बण्डतायुष्य, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)

महत्वपूर्ण

संख्या— 249 / एक-11-2020-04(जी) / 2015-टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस आयुक्त,
लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2020

विषय: कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में वैशिक महामारी कोविड-19 से प्रभावित सम्पूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन-रात ड्यूटी में लगे हुए हैं।

2. कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों में कोविड-19 के संक्रमण की आशका सदैव बनी रहती है। कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिक की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उस मृतक के आश्रितों को रु0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है।


3. उपर्युक्त स्वीकृति हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिये नियुक्त था तथा साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है, अपेक्षित होगा।

4. उक्त व्यवस्था का लाभ चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -533 / पांच-1-2020-आर0(533) / 2020 दिनांक 07.04.2020 से आच्छादित कार्मिकों से भिन्न समस्त विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि अन्य सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स,

रथायी/अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य/देय होगी, जो कोविड-19 की रोकथाम, उसके उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत हैं।

5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखाशीषक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06- स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।


उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-646/दस-5-2020... दिनांक 11 अप्रैल 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

 (रेणुका कुमार)
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या-249(1)/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आशा से,

 (संजय गोयल)
 सचिव।